23/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 84/17 तारीख रजू– 15/09/17

1– मदनलाल पुत्र प्रतापा जाति माली निवासी बौली जिला सवाई माधोपुर ।

बनाम

1– इस्फाक पुत्र ईलाहक मोहम्मद जाति मुसलमान अन्सारी निवासी बौली।

2– जगदीश पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी बौली।

3– गजानंद पुत्र प्यारसिंह जाति गुर्जर निवासी बौली।

4– सीताराम पुत्र खेमा जाति रेगर निवासी बौली।

5– अनिल कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी बौली जिला सवाई माधोपुर।

6– राधेश्याम पुत्र बालकृष्ण जाति शर्मा निवासी बौली।

7– प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति बौली , जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली। –अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 21/1/19

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति बौली के मिसल संख्या 10 में पारित निर्णय दिनांक 13/03/07 विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायत बौली का निर्णय दिनांक 21/08/03 निरस्त किया गया है तथा निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति बौली के मिसल संख्या 10 में पारित निर्णय दिनांक 13/03/07 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व 5 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 4 व 6 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं0 4 व 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीगुजार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बौली ने अपने निर्णय दिनांक 21/08/03 द्वारा अपीलान्ट के पिता प्रताप माली को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विवादित भूमि का पट्टा व पुख्ता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी तथा ग्राम पंचायत के उक्त आदेश को प्रशासन स्थाई समिति ने अपने निर्णय दिनांक 13/03/07 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध निगरानी हमारे द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई है। स्थाई प्रशासन समिति द्वारा बिना मौका देखे तथा निगरानीकर्त्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करे बिना ही निर्णय पारित कर दिया है। जो निरस्त योग्य है। क्योंकि ग्राम पंचायत का फैसला 21/08/03 को ही हो गया था जिसकी अपील तीन साल पश्चात् 06/02/06 को अप्रार्थीगण द्वारा की गई। जबकि मौके पर हमारा निर्माण हो चुका है तथा मौका रिपोर्ट पर जिन–जिन व्यक्ति के नाम अंकित है उन सभी व्यक्तियों के पंचायत समिति के मौका नक्शा पर हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्णय मिलीभगत से पारित किया गया है, साथ ही वकील प्रार्थीगण द्वारा निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/03/2007 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा अपील नम्बरी दीवानी 11/2012 (29/2010) में निर्णय दिनांक 22/10/2016 पारित किया जा चुका है। जिसमें उभय पक्ष पक्षकारगण है तथा उक्त निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/03/2007 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के अधिकवक्ता की ओर से अपील नम्बरी 11/12 (29/10) मदन/इस्फाक के निर्णय दिनांक की छायाप्रति पेश की।जिसका अवलोकन किया गया मदनलाल जो इस प्रकरण में निगरानीगुजार है। उसकी ओर से मा0 न्याया. अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर में उक्त अपील दायर की गई थी। जिसमें अप्रार्थीगण भी पक्षकार है। उक्त अपील में मा0 न्यायालय द्वारा विवाधक सं0 3 आया ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 21.8.03 मि0सं0 190 का आदेश विवादित भूमि आम रास्ता को होने के कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, कायम कर निर्णित किए जिसके मा0 न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 21.08.2003 को पारित किया गया है। ऊपर की गई विवेचना से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत को आम रास्ते की भूमि को किसी व्यक्ति को आवंटित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 21.08. 2003 को पंचायत समिति बौंली द्वारा भी निरस्त भी किया जा चुका है।उक्त दावा घोषणा विवादित भूमि **10X18** के दुकान निर्माण के संबंध में है जिसमें यह माना है कि आम रास्ते की भूमि पर निर्माण किया जाना विधि अनुसार नहीं है। जिससे वादीगण हटवाने के अधिकारी है। मौजुदा निगरानी में भी प्रार्थी द्वारा 13.03.07 के आदेश प्रशा0स्वा0मा0 बौंली को चैलेन्ज किया गया है। जबकि उक्त आदेश को मा0 सिविल न्याया0 द्वारा निर्देशित करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

25/A

चूंकि मौजूदा प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा नम्बरी द्वारा के विरूद्ध नम्बरी अपील निर्णित की जा चुकी है। जिसमें प्रार्थी के उक्त पट्टे को अवैधानिक मानते हुए प्रार्थी की अपील खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र अभिमत में जब नम्बरी दावा व अपील सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है। जिसमें विवादित बिन्दु का विवेचन किया है तथा प्रार्थी मदनलाल की अपील निरस्त की गई है तो न्यायालय हाजा द्वारा समरी प्रोसेडिंग के तहत उक्त पट्टे की वैधानिकता व अवैधानिकता के संबंध में कोई आदेश प्रतिपादित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यह निगरानी उक्त आधारों पर प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किया जाना न्यायहित में उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति बौली के मिसल संख्या 10 में पारित निर्णय दिनांक 13/03/07 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.1.19 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर